Mussoorie Dehradun Development Authority
Transport Nagar, Dehradun, Uttarakhand- 248001

Terms of Refference for the post of Transport Planner & Urban Planner

The Office of Mussoorie Dehradun Development Authority, Dehradun Invite Applications for the Post of 1-Transport Planner 2- Urban Planner on Contracuatial Basis. Eligible Candidates would be called for interview and the date will be intimated to them after short listing of the application.

Eligibilty & Qualification

Sr.No.	Name of the post	No.	Qualification and Eligibilty
1	Transport Planner	01	• Master in Transport Planning/ Transport Engineering • Minimum work Experience – 5 years • Salary – Rs. 90,000/- Per Month (Negotiable)
2	Urban Planner	01	• Master in Urban Planning/ M.Planning • Minimum work Experience – 7 years • Salary – Rs. 90,000/- Per Month (Negotiable)

General Conditions

- The appointment shall be on contractual basis initially for the period of 11 Month with the provision of extension depending upon the requirement.
- Candidates having working experience with Central Govt./State Government or any urban local body shall be given preference.
- The interested candidates shall forward their CV to Superitendent Engnineer MDDA office address along with all Qualification Documents sealed in Envelope Marked as " Application for the Post of Transport Planner / Urban Planner"
- The CV of the interested candidate should reach the MDDA Office by 29.10.2022 till 3.00 P.M.
- At the time of interview the applicants shall bring the Two photo copies of the resume and self attested qualification Certificates along with the original Certificates of qualification & experience.
- No TA/DA will be paid for appearing for the interview.

14/10/20

भा सचिवालय से बर्खास्त के मामले में सुनवाई जारी

क्रवार की विधान सभा ए गए 55 से अधिक ं पर सुनवाई की। अब सुनवाई होगी।

तिवारी की एकलपीठ के द्र सिंह बिष्ट, कुलदीप की याचिका पर सुनवाई ओर से पक्ष रखते हुए दत्त कामथ, वरिष्ठ वत व रवींद्र सिंह बिष्ट ध्यक्ष की ओर से कहा रखते हुए उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। बर्खास्तगी आदेश में उन्हें हटाने के आधार को स्पष्ट नहीं किया गया है। हटाने से पूर्व उन्हें सुना तक नहीं गया।

वर्ष 2002 से 2015 के बीच विधान सभा सचिवालय में 396 पदों पर बैक डोर से नियुक्तियां हुई थीं। याचियों को बिना किसी ठोस आधार के बर्खास्त किया गया है। विधान सभा सचिवालय का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता विजय भट्ट की ओर से कहा गया कि इनकी नियुक्ति बैकडोर के माध्यम से हुई है और इन्हें काम चलाऊ व्यवस्था के आधार पर रखा गया था, उसी के आधार पर इन्हें हटाया गया है। ब्यूरो

महिला पार्षद की सदस्यता समाप्त

रुड़की। शासन ने तीन बच्चों को लेकर नगर निगम की महिला पार्षद की सदस्यता समाप्त कर दी है। जांच पूरी होने के बाद पार्षद को शासन ने अनर्ह करार दिया है। इसके बाद वार्ड नंबर-4 खंजरपुर को रिक्त घोषित कर दिया गया है। अब इस वार्ड में उपचुनाव होगा। गौरतलब है कि नगर निगम के वार्ड नंबर-चार खंजरपुर से पार्षद पूनम देवी के खिलाफ खंजरपुर निवासी एक महिला ने 13 मई 2022 को डीएम एवं शासन से शिकायत की थी। शिकायतकर्ता महिला ने बताया था कि चुनाव के दौरान शपथ पत्र में पार्षद पूनम देवी ने दो संतान बताई है। उनकी तीन जीवित संतान हैं। शासन ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी के आदेश पर तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जांच कर रिपोर्ट सौंपी थी। जांच में भी तीन संतान होने की पुष्टि हुई थी। हालांकि इस संबंध में जब पार्षद पूनम देवी ने पक्ष रखते हुए बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री आराध्य को 12 अक्तूबर 2018 को अनिल कुमार निवासी गीतांजलि विहार को गोद दे दिया है लेकिन नियम के तहत पार्षद पूनम देवी का यह तर्क मान्य नहीं हुआ। संवाद

कार्यालय मसूरी - देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्टनगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

पत्रांक: 579/ स्था०/ 2022 दिनांक- 14-10-2012

ट्रांसपोर्ट प्लानर हेतु विज्ञप्ति

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सुनियोजित विकास एवं मार्गों के विस्तारीकरण, चौराहों के सौन्दर्यीकरण एवं ट्रैफिक सुधार आदि हेतु निर्देशित कार्यों के सम्पादन हेतु 01 ट्रांसपोर्ट प्लानर एवं 01 अरबन प्लानर (विशेषज्ञता प्राप्त) की 11 माह की निर्धारित अवधि हेतु आवश्यकता है। शैक्षिक योग्यता एवं वेतन व कार्यों का विवरण आदि प्राधिकरण की बेबसाईट mddaonline.com से प्राप्त की जा सकती है।

इच्छुक व्यक्ति अपनी शैक्षिक योग्यताओं एंव अनुभव से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों सहित आवेदन दिनांक 29-10-2022 को अपरान्ह 3-00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।